सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि. 12 दिसम्बर 2019
शाखा - एम.पी.एच.बी (हाथीताल) जबलपुर (म.प्र)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे निर्दिष्ट तिथि को बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार का नाम	बकाया राशि	अचल संपत्ति / संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
श्री आनंद दुबे पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे	रु 1522876/- + रु 1038800/- + रु 1049675 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि/ भवन: मौज़ा करमेता, एनबी नं 497, प.ह.नं 26/23, नया 78 खसरा नं पुराना 453 का भाग, नया डायवर्टेड खसरा नं 453/33, रकवा 1020 वर्गफुट प्लॉट एवं उस पर निर्मित आवासीय मकान।	रु 29,10,000 रु 2,91,000 रु 20,000

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता मे. C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल www.bankeauctions.com पर उपलब्ध लिंक देखें।

दिनांक: 08.11.2019 **स्थान: जबलपुर (म.प्र)** **कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

ई-नीलामी विस्तृत नियम एवं शर्तें

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस- ई-नीलामी दि. 12 दिसम्बर 2019

ई-नीलामी तिथि एवं समय	बिड प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
12.12.2019 / समय: दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक	11.12.2019/ साँय 5.00 बजे तक

नियम व शर्तें: 1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी। नीलामी बोली ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को (समय: दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी**। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।

2. इच्छुक निविदाकर्ता यूजर आईडी एवं पासवर्ड वैबसाइट www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। यूजर आईडी/पासवर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु श्री दानिश खान मो. 09111444797, 09826804343, +91-124-4302000,1,4,5 ई-मेल: danish.khan@c1india.com, support@bankeauctions.com पर संपर्क कर सकते है।

3. इच्छुक निविदाकर्ता अपनी धरोहर राशि (ईएमडी) (आरक्षित मूल्य का 10%) NEFT/RTGS के द्वारा खाता क्र **3541639109** खाता नाम: AUTHORISED OFFICER RO JABALPUR सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेपियर टाउन, जबलपुर म.प्र IFSC Code: CBIN0280743 मे, दिनांक 11 दिसम्बर 2019 (11.12.2019) को साँय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा कर सकते है। कृपया ध्यान दें कि अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. वेब पोर्टल पर निविदाकार के पंजीकरण पश्चात इच्छुक निविदाकार/क्रेता को निम्नवत दस्तावेज दिनांक 11.12.2019 को साँय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व वेबपोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। जैसे i) NEFT/RTGS चालान प्रति ii) पैनकार्ड प्रति iii) पहचान प्रमाण पत्र (केवाईसी) जैसे स्व-सत्यापित वोटर कार्ड/ड्राइविंग लायसैन्स/पासपोर्ट इत्यादि। iv) निवास प्रमाण पत्र की प्रति (जिनके बिना बिड निरस्त की जा सकती है)।

5. ई-नीलामी प्रक्रिया मे केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टिकृत निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बोली (बिड) जमा करने तथा ई-नीलामी मे सम्मलित होने से पूर्व C-1 इंडिया प्रा.लि के वेबपोर्टल www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन कर सकते है।

6. प्राधिकृत अधिकारी के अधिकतम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार किसी भी संपत्ति/यों पर कोई भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक निविदाकर्ता बिड भरने से पूर्व संपत्ति पर प्रभार, नीलामी हेतु प्रस्तुत संपत्ति/यों का स्वामितत्व तथा दावों।/अधिकार/देनदारियाँ आदि विषय मे स्वतंत्र जाँच कर सकते है। ई-नीलामी नोटिस बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता अथवा अभिवेदन नियत नहीं करता है। संपत्तियाँ वर्तमान भार या भविष्य के प्रभार जो बैंक की जानकारी मे हो अथवा नहीं, के सहित नीलाम की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी प्रकार से तृतीय पक्ष के दावो/अधिकारों/देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे।

7. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह निविदा के पूर्व संपत्ति व उसके विनिर्देशन का स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेवे।

8. सफल उच्चतम बोलीकर्ता की अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) विक्रय प्रतिफल के अंश के रूप मे प्रतिधारित की जाएगी तथा असफल बोलिकर्ताओं को ईएमडी वापिस की जाएगी। अग्रिम धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (अग्रिम धरोहर राशि समायोजित करते हुए) तुरंत/ आगामी बैंक कार्यदिवस मे अनिवार्य रूप से जमा करना होगा तथा विक्रय मूल्य की शेष 75% प्रतिशत राशि 15 दिन के अंदर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान करने मे असफल रहने की स्थिति मे उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति /यो की पुनः नीलामी की जाएगी।

9. निविदाकर्ताओं को सलाह है कि ई-नीलामी मे भाग लेने के पूर्व तकनीकी व्यवस्था तैयार रखें। किसी भी प्रकार की इंटरनेट नेटवर्क संबंधी समस्या के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक या मे. C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार नहीं होगा ।

10. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा तथा वह किसी एक या सभी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या बिना कारण बताए ई–नीलामी स्थगित करने/आगे बढ़ाने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबन्धित शाखा- एमपीएचबी मो. 8226012856 से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान: जबलपुर (म.प्र) दिनांक: 08.11.2019 **कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी, शाखा- एमपीएचबी**